प्रारुप–2.1

कार्य का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में चमियाला–इन्द्रवाणगांव कांगड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 10.00 कि0मी0।

प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में आवादी वाली असंयोजित बसावट को किसी भी बाहरमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्य सम्मलित किया गया है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–790/III(2) 208–34(प्रा0आ0)/07 दिनांक–20.03.2008 को मोटर मार्ग की 10.00 कि0मी0 हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई !

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार चमियाला से इन्द्रवाण गांव कांगडा तक की कुल आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड पायी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है परन्तु यातायात की सुविधा न होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का मुल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग के निर्माण हा जाने से जहॉ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगे वहीं सरकार की विकास योजनाऐं भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कास्तकारों की नाप भूमि की अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 3.997 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम भूमि .700 है0, 2.961 है0, नाप भूमि प्रभावित हो रही है जो कि न्यूनतम एव अप्रिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रसताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सरवेक्षण के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है। जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न रंगीन गोगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया

नं0–1 को अनुमोदित किया गया है इन दोनो संमेरखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। एवं उनके द्वारा समरेखण नं0–1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीया दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है। ;भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट की आख्या की छाया प्रति संलग्न अतः लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार आने वाले आरक्षित वन भूमि 3.997 है0, सिविल सोयम भूमि .700 है0, वन भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली

सहायक अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली